न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 293/2019 (101/2018)

GCMS NO. : 2018/00006

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. लाडुराम पुत्र शंकर जाति– बावरी निवासी– धनेरिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. भेरूलाल उर्फ भेराराम पुत्र बालुराम जाति– ढोली निवासी– ग्राम कठमोर, हाल निवासी झुझण्डा, तहसील–जैतारण जिला–पाली। 2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला–पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.25/09/2019

उपस्थितः– 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 22/02/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा धनेरिया, पटवार हल्का केकिन्दड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया, तहसील जैतारण, जिला पाली में वादी की खरीदसुदा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 09–08 बीघा किश्म बारानी दोयम आई हुई है। लेकिन उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी का नाम गलत चला आ रहा है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इस आराजी की वाद पत्र के साथ पेश है। इस आराजी को वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि वादी ने प्रतिवादी से जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.05.1979 को खरीद की है जो उप पंजीयक कार्यालय जैतारण में दिनांक 03.05.1979 को दस्तावेज क्रम संख्या 253/79 पर बुक संख्या 1 जिल्द संख्या 19 के पृष्ठ संख्या 203 से 206 पर पंजीकृत किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ पेश की जा रही है। वादी द्वारा उक्त आराजी को खरीद किया तब से उक्त भूमि वादी के निरन्तर शांति पूर्वक कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा वादी ही एक मात्र उक्त भूमि का रजिस्टर्ड मालिक व भौगता है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि का बेचान करने के बाद अपने ससुराल झुझण्डा में बतौर घर जवाई के रहने लग गया तथा आज दिन तक प्रतिवादी ग्राम झुझण्डा में ही निवास कर रहा है। वादी द्वारा उक्त आराजी को खरीद किया [illegible] वादी के साथ तत्कालीन धनेरिया सरपंच लक्ष्मणसिंह साथ आये थे तथा उन्होंने इस बेचान रजिस्ट्री में साख भी डाली थी। लक्ष्मणसिंह जी ने तत्कालीन समय वादी को म्यूटेशन करवाने हेतु उक्त असल बेचान रजिस्ट्री मांग कर अपने पास रख ली तथा वादी को यह आश्वासित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कर दिया कि मैने आपको म्यूटेशन नामान्तरण पटवारी से मिलकर करवा दिया है। वादी ने भी तत्कालीन सरपंच पर विश्वास कर लिया तथा वादी ने असल बेचान रजिस्ट्री तत्कालीन सरपंच से वापस नही मांगी, तब से उक्त असल बेचान रजिस्ट्री तत्कालीन सरपंच के घर पर ही पड़ी रही। वादी अनपढ व अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है। जिसको कानूनी जानकारी नही थी। अब वादी द्वारा उक्त आराजी ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क दिनांक 13.04.2018 को किया। तब वादी को उक्त राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज नही होने की प्रथम बार जानकारी हुई। वादी ने उसी दिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की तथा पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम इन्द्राज करने को कहा तो उन्होने स्पष्ट मना कर दिया तथा उन्होने असल बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दावा करने की सलाह दी, तब वादी ने घर आकर बेचान रजिस्ट्री ढुंढी तो नही मिली, बाद में वादी ने तत्कालीन सरपंच के परिवार वालों से सम्पर्क कर रजिस्ट्री मांगी तो उन्होने ढुंढ कर असल बेचान रजिस्ट्री वादी को दी तथा वादी वक्त खरीद से उक्त कृषि भू पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इसलिए वादी उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। इसलिए यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जा रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी को बेचान बाबत् बयान वादी के पक्ष में करने का कहा तो प्रतिवादी ने आनाकानी की तथा प्रतिवादी के पुत्रगण ने कहा कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम इन्द्राज है। इसलिए हम उक्त आराजी को कभी भी बेचने के अधिकार रखते है। इस प्रकार प्रतिवादी व उसके विधिक वारिसान उक्त आराजी का बाले बाले बेचान करने पर आमादा है तथा दिनांक 02.05.2018 को प्रतिवादी द्वारा वादी को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि में हमारा नाम इन्द्राज है इसलिए हम उक्त कृषि भूमि का बाले बाले बेचान करेगे। यदि प्रतिवादी ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जावे तो वादी अपनी खरीदसुदा भूमि से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादी के ऐसे अवैध कृत्यो का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प नही रहने से यह वाद पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी एवं उप पंजीयन अधिकारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जो वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये है। यह वाद पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. की अनुमति लेकर के श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनाय वाद दिनांक 13.04.2018 को वादी द्वारा अपनी उक्त आराजी पर ऋण लेने हेतु पटवार हल्का से सम्पर्क किया तब पटवार हल्का द्वारा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने की जानकारी देने पर तथा वाद वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक से व्यक्तिगत सम्पर्क कर बेचान बाबत् अपने पक्ष में बयान करने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा आनाकानी करने व उक्त आराजी को प्रतिवादी द्वारा बाले बाले बेचान करने की धमकीया देने पर बमुकाम धनेरिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

तहसील जैतारण जिला पाली में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। वकील प्रतिवादी बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जबाब दावा पेश करने में विफल रहने से जबाब दावा बन्द किया गया।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र P/W 01, P/W 02 पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया।

हमने प्रकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादी द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दडा में वादी की खरीदशुदा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 09–08 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है जिसे बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.05.1979 से खरीद किया गया। उक्त बेचान रजिस्ट्री माफिक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।
2. वादी द्वारा साक्ष्य में स्वयं का एवं गवाह मदनलाल पुत्र जगनाथ का शपथ–पत्र क्रमशः P/W 01 एवं P/W 02 प्रस्तुत किये। वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेज यथा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.05.1979 (प्रदर्श–1), जमाबंदी संवत् 2074–77 (प्रदर्श–2), मूल नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–3) व वादी का आधार कार्ड (प्रदर्श–4) प्रदर्श करवाये गये।
3. पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2074–2077 (प्रदर्श–2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 भेराराम पुत्र बालूराम का नाम दर्ज है। बेचान रजिस्ट्री दिनांक 03.05.1979 (प्रदर्श–1) में विक्रेता भैरूलाल पुत्र बालुजी अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की वक्त बेचान जमाबंदी संवत् 2029–2032 में तत्कालीन खातेदार का नाम 'भेरा पुत्र बालु' अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 के वकालतनामा में प्रतिवादी संख्या 1 ने 'भेराराम' नाम से हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादी को भेजे गये सम्मन की तामील में प्रतिवादी के हस्ताक्षर 'भेराराम' नाम से अंकित है। दूसरी ओर कथित बेचान रजिस्ट्री (प्रदर्श–1) में विक्रेता के हस्ताक्षर 'भेरूलाल' नाम से है। अतः वादग्रस्त आराजी के वक्त कथित बेचान के भू–अभिलेख में दर्ज तत्कालीन खातेदार एवं बेचान रजिस्ट्री (प्रदर्श–1) में अंकित विक्रेता के नाम में तात्विक भिन्नता है, साथ ही बेचान रजिस्ट्री (प्रदर्श–1) पर विक्रेता के हस्ताक्षर एवं वादग्रस्त [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के भेराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के हस्ताक्षर में भिन्नता भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। साथ ही बेचान रजिस्ट्री में कहीं भी वादी के हस्ताक्षर नहीं है।

4. वादी द्वारा वाद-पत्र में कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर बाद खरीद उसका कब्जा-काश्त चला आ रहा है। परन्तु उक्त कथन को साबित करने हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं की गई। व अपने वाद के समर्थन में गवाह मदनलाल पुत्र जगनाथ के अलावा कोई अन्य गवाह भी प्रस्तुत नहीं किये है। वादी द्वारा यह कथन किया गया कि वर्ष 1979 में उसके द्वारा जमीन खरीद की गई एवं उसे वादग्रस्त आराजी में उसका नाम नहीं होने की जानकारी हस्तगत वाद प्रस्तुत करने के वर्ष 2018 अर्थात् लगभग 39 वर्ष बाद हुई। वादी का उक्त कथन भी विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता। वादी द्वारा उक्त कथित बेचान के राजस्व रेकर्ड में आवश्यक प्रविष्टि हेतु 39 वर्षो तक कोई प्रयास क्यों नहीं किये गये उस संबंध में भी कोई विश्वास योग्य कारण नहीं बताये गये है।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के वक्त कथित बेचान के तत्कालीन खातेदार भेराराम जीवित है। वादी के पास यह विकल्प था कि सक्षम अधिकारी के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन करता परन्तु वादी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं के संबंध में वादपत्र में कोई कथन नहीं किये व न ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वादी द्वारा नामांतरण के संबंध में कोई प्रयास किये गये हो।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वाद वादी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना विधि सम्मत रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वादी के पक्ष में भली-भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 22/02/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली(राज.)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. लाडुराम पुत्र शंकर जाति– बावरी निवासी– धनेरिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली।		1. भेरूलाल उर्फ भेराराम पुत्र बालुराम जाति– ढोली निवासी– ग्राम कठमोर, हाल निवासी झुझण्डा, तहसील–जैतारण जिला–पाली। 2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण तहसील कार्यालय जैतारण जिला–पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0: 293/2019 (101/2018)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–....... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी होकर निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **22/02/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	2.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	[illegible]	0.00
मिजानः–	8.00	मिजान	1.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह ही फरीकैन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:49:24 IST
Reason: SelfAttested